<u>न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), लालगंज अझारा, प्रतापगढ़</u>

मूलवाद संख्या–178/2023

रानी देवी

बनाम

कृष्ण कुमार सिंह आदि

दिनांक: 19.08.2026

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद, प्रतिवाद पत्र हेतु नियत है। वाद, लंच बाद पुनः पेश हो।

दिनांकः 19.08.2026

(अशोक कुमार–XIV),
सिविल जज (अवर खण्ड),
बाह्य न्यायालय, लालगंज अझारा, प्रतापगढ़
जे ओ कोड– UP3774

<u>दिनांक: 19.08.2026/ लंच बाद</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद, प्रतिवाद पत्र हेतु नियत है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से विदित है कि वादिनी अथवा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत वाद मे अनुपस्थित हैं। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी दाखिल नही किया गया है। वादिनी के आचरण से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाद के निस्तारण मे वादिनी की रुचि शेष नही है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति मे निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति मे निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार, दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 19.08.2026/लंच बाद

(अशोक कुमार–XIV),
सिविल जज (अवर खण्ड),
बाह्य न्यायालय, लालगंज अझारा, प्रतापगढ़
जे ओ कोड– UP3774

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.08.19 13:11:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court